रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2012/फाल्गुन 30, 1933
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2012/PHALGUNA 30, 1933

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(पीआईटीएनडीपीएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2012

सा.का.नि. 229(अ).—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 731(अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार की संयुक्त सचिव, सुश्री हरमीत एस. सिंह को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है ।

[फा. सं. यू. 11022/14/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

नीता गुप्ता, अवर सचिव (पीआईटीएनडीपीएस)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(PITNDPS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2012

G.S.R. 229(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification dated 29th September, 2011 issued *vide* No. G.S.R. 731(E) the Central Government hereby specially empowers Ms. Harmeet S. Singh, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said section.

[F. No. U. 11022/14/2011-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy. (PITNDPS)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.